

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.11(7)/वित्त(नियम)/2008 दिनांक: 12.09.2008 एवं आदेश संख्या एफ. 11(7)/ वित्त(नियम) पार्ट-I/2008 दिनांक 06.08.2008 के अनुसरण में एवं राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 14 एवं 15 के तहत राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याताओं को कॉलम संख्या 06 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) वेतन बैण्ड (9300-34800)/(15600-39100)/पे मैट्रिक्स लेवल एवं कॉलम संख्या 07 के अनुसार ग्रेड पे वेतन एवं पे मैट्रिक्स लेवल, कॉलम संख्या 08 में अंकित तिथि से स्वीकृत की जाती है :-

क्र. सं.	नाम व्या. मय विषय एवं पदस्थापन स्थान सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती	जन्म तिथि	व्याख्याता में चयन का प्रकार	प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वीकृत एसीपी	स्वीकृत ग्रेड पे/पे मैट्रिक्स लेवल	स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जगदीश प्रसाद शर्मा व्या. संस्कृत, राउमावि मनौता कलां, नगर, भरतपुर	24.08.1957	डीपीसी	07.07.1997	II 20 वर्षीय	5400	07.07.2017
2	मंजुरानी गोयल व्या. संस्कृत राबाउमावि सवाई माधोपुर (शहर)	01.07.1965	डीपीसी	13.11.1997	II 20 वर्षीय	एल-13	13.11.2017
3	सुमन बोहरा व्या. संस्कृत राआउमावि पूलासर, चुरु	02.11.1967	डीपीसी	04.11.1997	II 20 वर्षीय	एल-13	04.11.2017
4	पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा व्या. अंग्रेजी राउमावि निठार, भरतपुर	25.09.1959	RVRES	10.09.1990	II 20 वर्षीय	5400	10.09.2010
5	सम्पतराज पुरोहित व्या. अंग्रेजी राउमावि असाड़ा, बाड़मेर	13.07.1975	डीपीसी	23.12.1998	II 20 वर्षीय	एल-13	23.12.2018
6	लोकेश कुमार शर्मा व्या. अंग्रेजी राउमावि, सुरपुर, बांसवाड़ा	12.08.1971	डीपीसी	09.12.1998	II 20 वर्षीय	एल-13	09.12.2018
7	किशनाराम बर्मा व्या. अंग्रेजी राउमावि बिलाड़ा, जोधपुर	07.09.1973	डीपीसी	12.11.1997	II 20 वर्षीय	एल-13	12.11.2017
8	कृष्णा कुमारी व्या. अंग्रेजी राबाउमावि बहरोड़, अलवर	12.08.1967	डीपीसी	10.11.1997	II 20 वर्षीय	एल-13	10.11.2017
9	रवीन्द्र कुमार व्या. अंग्रेजी राउमावि महाराजावास, अलवर	07.08.1964	डीपीसी	20.12.1997	II 20 वर्षीय	एल-13	20.12.2017

उपरोक्त व्याख्याताओं का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित व्याख्याता की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित की जावें। आर वी आर ई एस कार्मिकों को निर्देशानुसार दिनांक 01.07.2011 से पूर्व का एरियर राज्य सरकार द्वारा देय नहीं है।

(नथमल डिडेल)

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

दिनांक :- 21/03/2019

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-1/एसीपी/अंग्रेजी/संस्कृत/2018

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.) मुख्यालय
4. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
5. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
7. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर